

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, मंगलबार, म_ई 2, 2000/बैशाख 12, 1922

Ne. 303 |

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2000/VAISAKHA 12, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2000

का.आ. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुश्वांस परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 की ठपधारा (1) और पारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय पुनर्वास परिषद में सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 483(अ), तारीख 3 जून, 1998 में बिलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 19, 20 और 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी आएंगी :---

10 श्री दीनानाथ मिश्रा

सदस्य

संसद सदस्य (राज्य सभा)

सदस्य

%. श्री हरिभाई चौधरी संसद सदस्य (लोक सभा)

सदस्य''

ं भी श्रीमती श्यामा सिंह संसद सदस्य (लोक सभा)

[फा. सं. 25-1/98~डी. डी.-III]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

नोट:—मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 483(अ), तारीख 3 जूम, 1998 और 8 दिसम्बर, 1998 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2000

S. O. 426(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (No. 34 of 1992), the Central Government hereby appoints the following persons as members to the Rehabilitation Council of India and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 483(E) dated the 3rd June, 1998, namely:—

In the said notification, for serial numbers 19, 20 and 21 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"19. Shri Dina Nath Mishra Member Member of Parliament (Rajya Sabha)
20. Shri Haribhai Chaudhary Member of Parliament (Lok Sabha)
21. Shrimati Shyama Singh Member"

Member of Parliament (Lok Sabha)

[F. No. 25-1/98-DD-III]

GAURI CHATTERJEE, Jt Secv.

Note:—The Principal notification was published in the Gazette of India vide S. O. 483(E) dated the 3rd June, 1998 and 8th December, 1998.